न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 630 सन 2022
अनवान :–

1. रामदेव पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. रामकौरी पत्नी निराणाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 104/83 की कुल 7.9420हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व भूपसिह पुत्र निराणाराम का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि सयुक्त परिवार की पैदाकरदा भूमि है वाद भूमि रामदेव वादी के दादा गोविन्दराम के नाम दर्ज थी गोविन्दराम के तीन पुत्र निराणाराम , गोपीराम , उदमीराम थे गोविन्दराम के देहान्त होने के बाद उनके तीनो पुत्र वाद भूमि में 1/3 हिस्सा प्रत्येक का हुआ लेकिन राजस्व रिकार्ड में गोपीराम के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 रामकौरी पत्नी नरिणाराम व उसके पुत्र भूपसिह के 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज हो गया उदमीराम के नाम भूमि दर्ज नही हुई उदमीराम का देहान्त हो चुका हे जिसका वारिस वादी है वादी अपने हक हिस्सा की 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि की हिस्सा कस्सी सही तौर से करवा कर वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज भूमि है की हिस्सा कस्सी सही की जाकर वादी एवव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब अर्थात प्रत्येक 1/3 ,1/3 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज गोविन्दराम के नाम से दर्ज थी गोविन्दराम के तीन पुत्र थी गोविन्दराम के देहान्त होने पर उनके तीनो पुत्रों पर वाद भूमि बहिब दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु उनके दो पुत्रो गोपीराम एवं निराणाराम के देहान्त होने र उनकी पत्नी रामकोरी के नाम बहिब दर्ज कर दी उदमीराम के नाम भूमि दर्ज नही की गई जबकि गोविन्दराम के तीनो पुत्रों के नाम बहिब भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने परिवारिक समझौता किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

है कि घडसीराम जिसका देहान्त हो चुका है जिसका वारिस वादी है जो घडसीराम के हक हिस्सा की भूमि का हकदार है वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 104/83 की कुल 7.9420हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व भूपसिह पुत्र निराणाराम का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि सयुक्त परिवार की पैदाकरदा भूमि है वाद भूमि रामदेव वादी के दादा गोविन्दराम के नाम दर्ज थी गोविन्दराम के तीन पुत्र निराणाराम , गोपीराम , उदमीराम थे गोविन्दराम के देहान्त होने के बाद उनके तीनो पुत्र वाद भूमि में 1/3 हिस्सा प्रत्येक का हुआ लेकिन राजस्व रिकार्ड में गोपीराम के 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 रामकौरी पत्नी नरिाणाराम व उसके पुत्र भूपसिह के 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज हो गया उदमीराम के नाम भूमि दर्ज नही हुई उदमीराम का देहान्त हो चुका हे जिसका वारिस वादी है वादी अपने हक हिस्सा की 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 104/83 की कुल 7.9420हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व भूपसिह पुत्र निराणाराम का 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पुर्वज गोविन्दराम के नाम से दर्ज थी गोविन्दराम के तीन पुत्र निराणाराम , गोपीराम , उदमीराम हुए गोविन्दराम के नाम दर्ज भूमि गोविन्दराम के देहान्त होने के बाद उनके तीनों पुत्रो के नाम बहिब दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु सहवन से गोपीराम एवं निराणाराम के देहान्त होने पर उसकी पत्नी के नाम 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज हो गई उदमीराम के नाम भूमि दर्ज नही हुई उदमीराम का भी देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज है अर्थात सहवन से राजस्व रिकार्ड में उदमीराम का नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज हो गई जबकि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो का बराबर का हक हिस्सा है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की गोविन्दराम के देहान्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में भूमि सहवन से गलत तौर से दर्ज हुई है वाद भूमि में वादी 1/3 हिस्सा भूमि का हकदार है वाद के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कस्सी सही की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 104/83 की कुल 7.9420हैक भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादी एव 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामदेव पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गोपीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
2. रामकौरी पत्नी निराणाराम जाति जाट निवासी बालासर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 630 सन 2022 निर्णय दिनांक– 08/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 104/83 की कुल 7.9420हैक भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादी एव 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with OKEN Scanner